कानून को जानें

11

पुलिस से संबंधित अधिकार

विधि एवं न्याय मंत्रालय, (न्याय विभाग) भारत सरकार एवं
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, भारत (यू एन डी पी)
द्वारा संचालित ''एक्सेस टू जस्टिस परियोजना''
के अंतर्गत आईसेक्ट द्वारा निर्मित

सहयोग : राज्य संसाधन केन्द्र (आर.सी.ए.सी.ई.), भोपाल, म.प्र.

सत्यमेव जयते
Government of India
विधि एवं न्याय मंत्रालय,
(न्याय विभाग), भारत सरकार

AISECT
Education. Empowerment. Enterprise.

UNDP
Empowered lives.
Resilient nations.
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम,
(यू एन डी पी)

न्याय तक पहुंच - हमारा अधिकार

यह पुस्तक नवसाक्षरों को अपने पठन-पाठन के कौशल को विकसित करते हुए रोजमर्रा के जीवन में उपयोगी कानूनों की आधारभूत जानकारी प्राप्त करने में निश्चित ही मदद कर सकेगी। नवसाक्षरों के साथ अन्य सभी पाठकों और हाशिये पर जी रहे उपेक्षित और निर्बल पुरूष-महिलाओं को कानूनों की जानकारी के माध्यम से उनके अधिकारों की रक्षा के साथ उन्हें न्याय प्राप्त करने में भी मददगार होंगी।

लेखकों के नाम - संतोष कौशिक, संजय सिंह राठौर एवं डॉ. विश्वास चौहान

कथन - प्रकाशनों में दी गई कानूनी जानकारी लेखकों का अपना दृष्टिकोण है, जरूरी नहीं कि वही दृष्टिकोण भारत सरकार या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, भारत का भी हो।

इन पुस्तिकाओं में प्रकाशित किसी भी प्रकार की जानकारी, उदाहरण अथवा घटनाएं यदि पूर्व में प्रकाशित किसी सामग्री जैसी प्रतीत हों तो यह पूर्णतः संयोगवश है जिसके लिए इस परियोजना से जुड़ी संस्थाएं अथवा लेखक किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं हैं।

इस पुस्तिका में दी गई कानूनी जानकारियों के विस्तृत और सटीक अध्ययन के लिए कृपया मूल अधिनियम या योजना को अवश्य पढ़ें।

Copyright © Department of Justice, Govt. of India and UNDP India 2011

प्रकाशन के किसी भाग को आंशिक या पूर्ण रूप से उपयोग करने के लिये न्याय विभाग, भारत सरकार एवं यू.एन.डी.पी. भारत को आभार व्यक्त करते हुये लेखक का नाम, प्रकाशन का वर्ष आदि का उल्लेख करें।

भारत में प्रकाशित

सत्यमेव जयते
Government of India
विधि एवं न्याय मंत्रालय
(न्याय विभाग), भारत सरकार

संदेश

अपनी सरकार चुनने के अधिकार के बाद, ''न्याय तक पहुंच का अधिकार'' शायद लोकतंत्र को और मजबूत करने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। न्यायसंगत राष्ट्र ही प्रगतिशील राष्ट्र है, जहां लोगों के व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा, सामाजिक विकास की शक्ति को दर्शाता है। न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार, यू.एन.डी.पी. के सहयोग से ''उपेक्षित वर्गों के लिए न्याय तक पहुंच'' परियोजना का क्रियान्वयन कर रहा है ताकि समाज के कमजोर और हाशिये पर जी रहे लोगों की न्याय तक आसान पहुंच सुनिश्चित हो सके।

विधिक साक्षरता एवं कानूनी सशक्तिकरण, न्याय तक पहुंच की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विधिक साक्षरता को सुनिश्चित करने के लिए न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (DSE&L), मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के साथ मिलकर प्रयासरत है। न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, वास्तव में अलग-अलग विभागों, संस्थाओं और सामाजिक संस्थाओं के साथ सामंजस्य बढ़ाना चाहता है, जिससे समान प्रयासों की पुनरावृति को रोका जा सके तथा इस कार्यक्रम को व्यापक स्तर पर ले जाया जा सके। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (DSE&L), मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय ने विधिक साक्षरता को अपनी ''साक्षर भारत'' योजना के साथ शामिल कर क्रियान्वित करने की सहमति दी है। आजादी के बाद से ही सार्वभौमिक प्रौढ़ शिक्षा को पूरा करना प्रमुख राष्ट्रीय लक्ष्य रहा है, और शुरु से ही यह एक सफलतम अभियान रहा है। आज विधिक शिक्षा एवं साक्षरता की आवश्यकता युवा और प्रौढ़ों के लिए समान रुप से महत्वपूर्ण बन गई है।

साक्षरता कार्यक्रम प्रौढ़ों के लिए ज्ञान और कौशल को निरंतर विकसित करने के अवसर प्रदान करते हैं ताकि वे समाज के विकास में अपनी सकारात्मक भूमिका निभा सकें। न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार और यू.एन.डी.पी. की ''उपेक्षित वर्गों के लिए न्याय तक पहुंच'' परियोजना के अन्तर्गत विधिक साक्षरता पर 12 पुस्तकें तैयार की गई हैं जो इस वृहद प्रौढ़ शिक्षा

कार्यक्रम ''साक्षर भारत'' के एक भाग के रुप मे प्रयोग की जाएगीं। पुस्तकों की यह श्रृंखला बच्चों, महिलाओ, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांगों, एच.आई.वी./एड्स पीड़ित और असंगठित श्रमिकों के अधिकारो एवं सरकार समर्थित अनुदानों से संबंधित जटिल मुद्दों पर आसान समझ बनाने के लिए सरल फॉर्मेट और सरल भाषा में तैयार की गई है। इसके पीछे यही विचार है कि सभी नागरिक विभिन्न कानूनों, कानूनी सुरक्षा, अधिकारों और सरकार समर्थित अनुदानों के प्रति जागरुक होकर सार्वभौमिक मानवाधिकारों को जानते हुए न्याय तक पहुंच सकें।

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (DSE&L), मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय से जुड़ाव, विधिक साक्षरता को पूरे देश में पहुंचानें हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रसिद्ध सेमुअल जॉनसन ने एक बार कहा था कि, ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक वह जिस विषय मे हम स्वयं जानते हैं, तथा दूसरा, जिस विषय पर हमे पता है कि हम जानकारी कहां से प्राप्त कर सकतें हैं। मैं यह आशा करती हूं कि इन पुस्तकों के माध्यम से आधारभूत कानूनी जानकारी, लोगों तक पहुंच सकेंगी और लोगों के दैनिक जीवन से संबंधित चुनौतियों पर और अधिक जानकारी प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करेंगी। इन पुस्तकों की रुपरेखा इस तरह तैयार की गई है कि ज्ञान मे वृद्धि के फलस्वरुप, स्वतः लोगों की न्याय तक पहुंच संभव हो सके। हमारी यही आशा है कि जानकारी और प्रयासों का आदान-प्रदान, व्यक्तिगत अधिकारों एवं सरकार समर्थित अनुदानों के प्रति जागरुकता, लोगों को एक जिम्मेदार एवं कानून की पालना करने वाला नागरिक बनने मे सहायक होगी।

ये पुस्तकें आईसेक्ट, परियोजना दल, न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार और यू. एन.डी.पी. का एक मिलाजुला प्रयास है। मैं इन सभी लोगों के साथ लेखकगणों को धन्यवाद ज्ञापित करती हूं जिनके महत्वपूर्ण प्रयासों से ही ये पुस्तकें तैयार हो सकी हैं, जो निश्चित ही देश के कमजोर एवं वंचित वर्गों को शिक्षित एवं सशक्त बनानें मे मददगार साबित होंगी।

नई दिल्ली

07 अक्टूबर, 2011

नीला गंगाधरन, आई.ए.एस.,
सचिव,
न्याय विभाग,
विधि एवं न्याय मंत्रालय,
भारत सरकार

Empowered lives.
Resilient nations.

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम,
(यू एन डी पी)

प्राक्कथन

नागरिकों के मूलभूत मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने की दिशा मे भारत सरकार ने 'न्याय तक पहुंच' की दिशा मे सुधार को अपने सबसे महत्वपूर्ण कायक्रमों मे शामिल किया है। विभिन्न मानवाधिकार - जैसे नागरिक, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, परस्पर जुड़ें हैं और एक दूसरे को मजबूती प्रदान करते हैं। एक उत्कृष्ट जीवन स्तर, सम्पूर्ण पोषण, स्वास्थ्य चेतना और अन्य आर्थिक उपलब्धियां ही विकास के संपूर्ण लक्ष्य नहीं हैं, ये मानवाधिकार हैं - जो मानव स्वतंत्रता और गरिमा में निहित हैं। इन अधिकारों की प्राप्ति वास्तव में जिन राजनैतिक और सामाजिक व्यवस्थाओं पर निर्भर हैं वे है - धारणायें, संस्थाएं, कानून और एक सकारात्मक आर्थिक परिवेश। हमें अभाव मे जीने वाले लोगो की आवश्यकताओ की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इन व्यवस्थाओं को केन्द्र मे रखने की जरूरत है।

भारत का संविधान देश के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता, एवं सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय का संरक्षण करता है। इन संवैधानिक अधिकारों के अतिरिक्त, पिछले कुछ वर्षो में भारत सरकार ने उपेक्षित लोगों के लिए सरकार समर्थित अनुदानों को सुनिश्चित करने के लिए विशेष बल दिया है और इसके लिए विभिन्न ऐतिहासिक कानूनों का निर्माण किया गया है। इन कानूनों का निर्माण 'अधिकार आधारित अवधारणा' के आधार पर किया गया है जो अत्यंत प्रगतिशील एवं सराहनीय है। सूचना का अधिकार पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक उत्कृष्ट उदाहरण है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून हाशिये पर जीने वाले लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। शिक्षा का अधिकार कानून और भोजन के अधिकार की दिशा मे कार्य, कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहल हैं। एक साथ ये सभी कानून समाज के सबसे उपेक्षित वर्गो के, जो विकास के लाभ से वंचित रह गए हैं, मूलभूत मानव स्वतंत्रता की वकालत करते हैं।

प्रगतिशील कानूनों के बावजूद, अति उपेक्षित और हाशिये पर जीने वाले लोग, विशेषकर महिलाएं, कानून द्वारा संरक्षित अपने जायज हकों को प्राप्त नहीं कर पाती हैं। यह अनुमान है कि भारत के लगभग 70 प्रतिशत लोग या तो संविधान में दिये गये अधिकारों के प्रति जागरुक नहीं हैं, या उनके पास औपचारिक संस्थाओं के माध्यम से न्याय प्राप्त करने के संसाधन ही नहीं हैं। औपचारिक न्यायिक संस्थाओं की प्रकृति और संरचना के कारण

दलित, अनुसूचित जनजातियां, महिलाएं और दूरस्थ अंचलों में रहने वाले लोग अपने अधिकारों और सरकार समर्थित अनुदानों तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। राज्य तंत्र की उपेक्षित वर्गो तक पहुचने की असमर्थता एवं शिक्षा का अभाव, लोंगों की दशा के कारणों मे प्रमुख हैं। ये पुस्तकें लोगों की कानून की आधारभूत जानकारी, अधिकारों, सरकार समर्थित अनुदानों के प्रति जागरूकता को बढ़ाने मे और न्याय तक पहुंच की प्रक्रिया को समझने मे सहायक सिद्ध होंगी।

यू.एन.डी.पी., ने न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार की सहभागिता में ''उपेक्षित वर्गों के लिए न्याय तक पहुंच परियोजना'' के तहत व्यापक स्तर पर कई पहल की हैं। जिनमे राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरों पर विधिक सेवा प्राधिकरणों का एवं स्थानीय स्तर पर स्वैच्छिक संगठनों का बिहार, छत्तीसगढ, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश मे कानूनी जागरूकता, कानूनी सशक्तिकरण और कानूनी सहायता के लिये कार्य प्रमुख है। ये पुस्तकें, उक्त पहल का एक परिणाम हैं, जिसके अर्न्तगत आदर्श पाठ्यक्रम, एवं जानकारी, शिक्षा और संप्रेषण सामग्री (IEC Material) की श्रंखला के माध्यम से उपेक्षित लोगों की कानूनी जागरूकता स्थापित करते हुए, न्याय तक पहुंच बढाने का एक प्रयास है।

इन पुस्तकों का विशिष्ट पहलू यह है कि, ये लैंगिक संवेदना, आवश्यकता पर आधारित और विचार-विमर्श प्रक्रियाओं से तैयार की गई हैं। इन पुस्तकों में दी गई सूचनाएं और जानकारियां कानूनी साक्षरता पाठ्यक्रम के रूप में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग (DSE&L), मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रौढ़ शिक्षा के लिए चलाये जा रहे ''साक्षर भारत'' कार्यक्रम का एक हिस्सा हैं, जो देश के सभी राज्यों मे चलाया जा रहा है। ये पुस्तकें, मंत्रालयों और विभागों के परस्पर सामंजस्य का एक बेहतरीन उदाहरण हैं, आशा है इन पुस्तकों की व्यापक पहुंच संभव हो पाएगी और इनके ठोस परिणाम प्राप्त हों सकेंगे। आईसेक्ट (All India Society for Electronics and Computer Technology (AISECT)) ने इन पुस्तकों के अलावा एक फिल्म और प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण की मार्गदर्शिका भी तैयार की हैं।

निश्चित रुप से न्याय तक पहुंच के लिए कानूनी जागरूकता मे वृद्धि अनिवार्य है, इस संदर्भ में इन पुस्तकों की दीर्घकालिक उपयोगिता है। महिलाओं और पुरूषों को सशक्त बनाने और उनकी कानून तक पहुंच सुनिश्चित करने एवं सरकार समर्थित अनुदानों की प्राप्ति की दिशा मे ये पुस्तकें बहुत लाभकारी साबित होंगी। पुस्तकों में दी गई जानकारियां न सिर्फ ''साक्षर भारत'' कार्यक्रम के लिए उपयोगी होंगी बल्कि राष्ट्रीय, राज्य सरकारों और स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित समान कार्यक्रमो के लिए भी सहायक साबित होंगी।

केटलिन वीसेन
देश निदेशक
यू एन डी पी-भारत

पैट्रिस कुअर बिजो
संयुक्त राष्ट्र रेजीडेंट कोआर्डीनेटर तथा
यू एन डी पी के रेजीडेंट रिप्रेजेंटेटिव, भारत

आभार

प्रौढ़ शिक्षा के साथ-साथ कानूनी साक्षरता एवं कानूनी जागरूकता पर केन्द्रित इन पुस्तकों के निर्माण में हम उन सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपना रचनात्मक योगदान इस कार्य में दिया है। बारह पुस्तकों की इस श्रृंखला के निमार्ण का उद्देश्य यही है कि उपेक्षित लोगों को उनके अधिकारों की जानकारी देकर सशक्त बनाया जा सके ताकि रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी परेशानियों से उन्हें मुक्ति मिल सके। यह संयुक्त प्रयास निश्चित ही न्याय तक पहुंच बनाने में प्रौढ़ों और युवाओं के लिए सहायक साबित होगा। रोजमर्रा के कार्यों और दैनिक जीवन से जुड़े विभिन्न कानूनी मुद्दों और उनसे जुड़ी प्रक्रियाओं को इन पुस्तकों में अत्यंत सरल तरीके से समझाने की कोशिश की गयी है। कानूनी विषयों की आधारभूत जानकारी और कानूनी प्रक्रिया के मार्गदर्शन में यह श्रृंखला महत्वपूर्ण भूमिका निभाऐंगी, ऐसा हमारा विश्वास है।

हम न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार एवं यू.एन.डी.पी. के बहुत आभारी हैं जिन्होंने इस परियोजना के क्रियान्वयन में हमें हर संभव योगदान दिया। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग (DSE&L), मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय का हम आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने ''साक्षर भारत'' कार्यक्रम में कानूनी साक्षरता को शामिल करने हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान की। हम श्रीमती नीला गंगाधरन, सचिव, न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार के अमूल्य मार्गदर्शन एवं योगदान के लिये विशेष आभारी हैं। उनके सहयोग से ही हम इस कार्य को करने में सफल हो सके हैं। श्रीमती अंशु वैश, सचिव, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग (DSE&L) और श्री जे. एस. राजू, संयुक्त सचिव एवं महानिदेशक, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग (DSE&L) को विशेष धन्यवाद ज्ञापित करते हैं जिन्होंने यथासंभव सहयोग देकर इस परियोजना को सफल बनाने में मदद की है।

हम यू.एन.डी.पी. टीम, सुश्री सुमिता बनर्जी और सुश्री कान्ता सिंह से मिले सहयोग के अत्यंत आभारी है। ''उपेक्षित वर्गों के लिए न्याय तक पहुंच परियोजना'' टीम की परियोजना प्रबंधक सुश्री स्वाति मेहता और परियोजना अधिकारी श्री आशुतोष श्रीवास्तव से मिले सतत सहयोग और प्रोत्साहन के लिए हम बहुत-बहुत आभारी हैं।

इस पुस्तक को तैयार करने में हम उन सभी विषय विशेषज्ञ श्री सौम्या भौमिक, लेखकों, सलाहकारों और ''उपेक्षित वर्गों के लिए न्याय तक पहुंच परियोजना'' के सात राज्यों में स्थित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों एवं राज्य संसाधन केन्द्रों के सहयोग के भी आभारी हैं जिन्होंने इन्हें विकसित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

आईसेक्ट के महानिदेशक एवं राज्य संसाधन केन्द्र, भोपाल के अध्यक्ष श्री संतोष चौबे ने इस परियोजना के वास्तविक क्रियान्वयन में हर संभव मार्गनिर्देशन प्रदान किया जिसके लिये हम उनके आभारी हैं। आईसेक्ट की परियोजना संचालक सुश्री शिल्पी वार्ष्णेय, लेखन एवं संपादन हेतु श्री संतोष कौशिक एवं श्री संजय सिंह राठौर, मुद्रण एवं आकल्पन के लिये श्री विवेक बापट, श्री मुकेश सेन एवं सुश्री वंदना श्रीवास्तव ने इस परियोजना में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

हम आभारी हैं, इस पुस्तिका के मूल लेखकों संतोष कौशिक, संजय सिंह राठौर एवं डॉ. विश्वास चौहान के तथा चित्रांकन के लिये ब्रज पाटिल के, जिन्होंने अपना योगदान इसे विकसित करने में दिया है।

आईसेक्ट, भोपाल

अपनी बात .....

साक्षरता के आधार पर एक सुदृढ़ एवं विकसित समाज आकार लेता है। कानूनों की आधी-अधूरी जानकारी अक्सर बड़ी उलझन में डाल देती है। कानूनों की सही जानकारी ही हमें अपने कर्तव्य और अधिकारों के प्रति सचेत करती है। कानूनी साक्षरता के अभाव में निरक्षर ही नहीं पढ़े-लिखे लोग भी अक्सर ठगे जाते हैं।

विधि एवं न्याय मंत्रालय, (न्याय विभाग) भारत सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, भारत (यू एन डी पी) की मदद से आईसेक्ट का प्रयास है कि रोजमर्रा के कार्यों और जीवन से जुड़े बहुत से महत्वपूर्ण कानूनों की जानकारियां सरल भाषा में पुस्तकों के माध्यम से आप तक पहुंच सकें। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिये इस पुस्तक में पुलिस से संबंधित अधिकार व इनसे जुड़े सभी जरुरी कानूनों को संकलित कर आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं।

हमारा विश्वास है कि हमारे प्रकाशन आप तक पहुंचकर अपने उद्देश्यों में सफल हो सकेंगे।

संतोष चौबे
महानिदेशक, आईसेक्ट
एवं अध्यक्ष, राज्य संसाधन केन्द्र, भोपाल

अनुक्रम

1.	प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.)	1
2	पुलिस से संबंधित अधिकार	8
3.	कोर्ट में अपराध की सुनवाई	17
4.	जमानत	18
5.	जमानती अपराध, रिमांड	21
6.	राजीनामा और गैर राजीनामा प्रकरण	26
7.	डॉक्टरी जांच	31
8.	मानव अधिकार आयोग	32

1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.)

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (धारा-154)

न्याय और व्यवस्था को ठीक तरह से बनाये रखने के लिए संविधान में दिये गये नियमों का पालन किया जाना जरूरी है ताकि समाज में सभी सुरक्षित रहें, अपराध न हों। सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के पालन के लिए पुलिस को कुछ विशेष अधिकार दिये गये हैं। कई बार शिकायतें यह भी मिलती हैं कि पुलिस ने अपने अधिकारों और ताकत का गलत इस्तेमाल किया। इसके लिए संविधान ने नागरिकों को भी अधिकार दिये हैं। जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। हमें अपने अधिकारों को जानकर उनका उपयोग करना चाहिये।

- हमारे देश का कानून सबके लिए बराबर है।
- पुलिस का दायित्व है नागरिकों और कानून की रक्षा करना।
- कानूनी सुरक्षा पाने का सबको बराबर अधिकार है।
- पुलिस को विशेष अधिकार प्राप्त होने का अर्थ मनमानी करना नहीं है।
- दुर्व्यवहार करने पर पुलिस को भी दण्डित किया जा सकता है।
- पुलिस की पूरी मदद लेने के लिए जरूरी है कि हमें भी पुलिस की पूरी मदद करना चाहिये।

घटना-एक

हमारी बेटी कविता जब स्कूल से घर लौटती है तो मोहल्ले के कुछ मनचले लड़के उसे छेड़ते हैं? छींटाकशी करते हैं?

घटना-दो

शर्मा जी के घर चोरी हो गई। उनके लड़के ने चोर को पहचान लिया था। लेकिन चोर भाग गया। शर्मा जी थाने में जाने से झिझक रहे हैं क्यों कि वो दो दिन पहले घर में हुई चोरी की थाने में एफ.आई.आर. लिखवाना भूल गये।

घटना-तीन

मधु की अपने पति से नहीं बनती थी। उसके दो सन्तानें भी थीं। एक लड़का और एक लड़की। घर में कुल पांच लोग रहते थे। मधु, उसका पति, दो बच्चे और मधु का ससुर।

एक रात कमरे की ग्रिल तोड़कर चोर घुसा। वो अलमारी तोड़ रहा था। मधु जाग गयी। चोर ने मधु का मुंह बंद करके गला घौंट दिया मधु की मौत हो गई। चोरी करके चोर भाग गया। सुबह सब जागे तो मधु का कमरा बंद था। खिड़की से अन्दर जाकर देखा तो मधु की लाश पड़ी थी। मधु का पति और ससुर दोनों डरे हुए थे। सोच रहे थे क्या करें? थाने में रिपोर्ट करायें या नहीं?

घटना-चार

इदरीस गांव का एक सम्पन्न किसान है। इदरीस ने पास के गांव में एक किसान की तम्बाखू की खेती खरीद कर किसी तीसरे व्यक्ति को बेच दिया। पैसे के लेन-देन को लेकर ग्राहक और इदरीस में काफी कहा-सुनी हो गयी। ग्राहक बीस बदमाशों को लेकर आ गया। उसने इदरीस पर हमला कर दिया हमले में इदरीस की मौत हो गयी।

इदरीस की पत्नी अनपढ़ थी। वो थाने में जाने से भी डरती थी। उसने बोल बोलकर घर के नौकर को रिपोर्ट लिखवाई। रिपोर्ट लेकर अगले दिन नौकर थाने गया। थाना घर से 9 किलोमीटर दूर था। रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। पुलिस ने कार्यवाही की। मुकदमा कई साल तक चला। अंत में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। मुल्जिम के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया कि एफ.आई.आर. जानबूझकर देरी से दर्ज की गई। हालांकि दोषियों को सजा हुई। लेकिन यहां एक प्रश्न उठता है कि क्या एफ.आई.आर. में देरी होने पर दोषी को लाभ मिलता है?

ऊपर लिखी चारों घटनाओं में आपराधिक घटना घटी है। चारों घटनाओं में देखा गया है कि एफ.आई.आर. यानि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में पीड़ित परिवार या व्यक्ति को कई तरह की शंकाएं, डर और संकोच घेर लेते हैं। थाने में होने वाली कानूनी प्रक्रियाओं से भी लोग दूरी बनाकर चलते हैं। पुलिस, थाना, कानूनी कार्यवाही को लेकर भी एक हौवा बना दिया गया है। जबकि पुलिस और कानून ऐसी स्थिति में हमारे सच्चे मित्र हैं। कई बार किसी आपराधिक घटना के घटने पर प्राथमिक रिपोर्ट थाने में दर्ज न कराकर

हम स्वयं एक अपराध को अपने सिर पर लाद लेते हैं। आम आदमी के जहन में पुलिस और कानून को लेकर कुछ इस तरह की गलत धारणाएं बैठीं थी जो अब खत्म हो रही हैं-

- पुलिस ज्यादा मदद नहीं करती।
- कानून जानने वाले पीड़ित का आर्थिक शोषण करते हैं।
- न्याय पाना भी धन की उपलब्धता पर निर्भर है।
- वकील अपनी चालबाजी में फंसा लेते हैं।
- जांच पड़ताल की कार्यवाही लम्बी चलती है।
- नेताओं और मिनिस्टरों की सिफारिश से केस प्रभावित होता है।
- एफ. आई.आर. दर्ज कराना कोई हंसी खेल नहीं है।

आज पुरानी धारणायें टूट रही हैं। ''सूचना के अधिकार'' जैसे कानून का लोग खुलकर उपयोग कर रहे हैं। लोग आज समझने लगे हैं कि एफ. आई.आर. को वरीयता दी जाती है। असहायों के लिए एफ. आई.आर. एक बड़ा सहारा है। गुंडे बदमाशों की गुंडागर्दी के खिलाफ जब पास-पड़ोस और परिचितजन भी किनारा करने लगते हैं तो ऐसे में एफ. आई.आर. हमारी रक्षा करती है। एफ. आई.आर. दर्ज होने पर पुलिस का कर्तव्य हो जाता है कि गुंडे बदमाशों पर कार्यवाही करे और असहायों को न सताये जाने की व्यवस्था करे।

आइये एफ.आई.आर. के बारे में विस्तार से जानते हैं-

प्रश्न : प्रथम सूचना रिपोर्ट क्या है?

उत्तर : प्रथम सूचना रिपोर्ट का मतलब है आपने पुलिस को जाकर सूचना दी कि कोई संज्ञेय अपराध हुआ है। इसी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अपनी कार्यवाही शुरू करती है।

प्रश्न : यदि थाने वाले रिपोर्ट न लें तो?

उत्तर : तब पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट रजिस्ट्री डाक से भेजी जा सकती है।

प्रश्न : क्या एफ. आई.आर. किसी अन्य व्यक्ति को भेजकर भी दर्ज कराई जा सकती है?

उत्तर : हां, ऐसा हो सकता है।

प्रश्न : अगर मामला ज्यादा गम्भीर है तो तुरंत कार्यवाही के लिए क्या कर सकते हैं?

उत्तर : एस.पी./डी.एस.पी. जैसे वरिष्ठ अधिकारी से तुरंत मिलकर कार्यवाही के लिए निवेदन किया जा सकता है।

प्रश्न : यदि पुलिस के बड़े अधिकारी भी बात न सुनें तो क्या कर सकते हैं?

उत्तर :

- घटना की विस्तृत जानकारी लिखकर मजिस्ट्रेट को दी जा सकती है। मजिस्ट्रेट जांच अधिकारी को कार्यवाही का आदेश देंगे। वे खुद भी जांच कर सकते हैं। सामान्यतः यह (धारा 156 (3) दंड प्रक्रिया संहिता) के अनुसार किया जाता है।
- असंज्ञेय मामलों की जांच का अधिकार पुलिस को नहीं है। हां, अगर मजिस्ट्रेट जांच का आदेश दे तो पुलिस अवश्य जांच करती है। सामान्यतः यह कार्यवाही धारा 155 दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार किया जाता है।
- असंज्ञेय अपराध एक तरह से निजी विवाद है जिनसे आम जनता का कोई सरोकार नहीं होता। जैसेः बदनामी करना, गर्भवती होने पर नौकरी से निकाल दिया जाना, किसी को मामूली चोट पहुंचाना आदि।
- असंज्ञेय अपराध की शिकायत मजिस्ट्रेट के यहां भी की जा सकती है।

प्रश्न : अपराध की रिपोर्ट कैसे लिखवाई जाती है?

उत्तर : रिपोर्ट लिखित भी हो सकती है और मुंह जबानी थी। जबानी (बोलकर) लिखवाई गई रिपोर्ट को पुलिस पढ़कर सुनाती है। अगर ऐसा लगता है कि रिपोर्ट ठीक नहीं लिखी गई तो उसे ठीक करा लें। गलत लिखी रिपोर्ट पर दस्तखत न करें।

प्रश्न : रिपोर्ट में क्या-क्या दर्ज कराना जरूरी है?

उत्तर :

- नाम, पता अपराधी का नाम, पता (अगर मालूम हो तो), उसका हुलिया, जो अपराध हुआ है उसकी जानकारी और अपराध कैसे हुआ और कहां हुआ उसकी पूरी जानकारी।
- अगर अपराध हत्या का है या चोट पहुंचाने का तो उस हथियार या औजार या वस्तु का नाम भी लिखा देना चाहिये, जिससे चोट पहुंचाई गई हो।
- अगर अपराध चोरी, डकैती, लूट वगैरह का है तो जो माल या रुपया पैसा लूटा या चुराया गया है उसकी जानकारी भी लिखा देना ठीक रहता है।
- संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट लिखना पुलिस का कर्तव्य है। लिखने वाले अधिकारी के रिपोर्ट न लिखने पर उसे विभाग से सजा भी मिल सकती है।
- रिपोर्ट में खास-खास बातें विस्तार से लिखा देने से पुलिस कार्यवाही आसान हो जाती है। संज्ञेय अपराध को पुलिस तुरन्त विवेचना करने के लिये बाध्य होती है और कार्यवाही शीघ्र चालू हो जाती हैं तुरंत कार्यवाही होने से चोरी गई या लूटी गई संपत्ति मिलने की संभावना अधिक होती है और अपराधी को पकड़ना भी आसान हो जाता है।
- आपका हक है कि रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस वाले आपको उसकी एक नकल अवश्य दें।
- वैसे रिपोर्ट लिखवाते समय किसी अन्य व्यक्ति को साथ जाने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपको अगर लगता है कि जिसके खिलाफ आप रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं और पुलिस के बुरा बर्ताव करने की संभावना है तो अपने साथ किसी जान-पहचान के व्यक्ति को ले जायें।

प्रश्न : रिपोर्ट दर्ज कब करायें?

उत्तर : घटना के तुरंत बाद। यह आवश्यक है ताकि सुबूत मिलने और अपराधी को पकड़ने में आसानी हो सके।

प्रश्न : यदि एफ.आई.आर. लिखवाने में देरी हो जाती है तो क्या करें?

उत्तर : तो भी रिपोर्ट दर्ज की जाती है, लेकिन रिपोर्ट में देरी होने का स्पष्ट कारण लिखवाना जरूरी है।

प्रश्न : क्या रिपोर्ट दर्ज करने के पैसे भी लगते हैं?

उत्तर : नहीं, इसका खर्च सरकार उठाती है। यदि थाने में कोई इसके लिए पैसे मांगता है तो इसकी शिकायत उच्च अधिकारी से की जा सकती है।

प्रश्न : क्या रिपोर्ट किसी भी थाने में दर्ज कराई जा सकती है?

उत्तर : अपराध की रिपोर्ट घटना स्थल के पास वाले थाने में ही दर्ज करायें। अगर पुलिस को लगता है कि अपराध किसी और थाने के अंतर्गत आता है तब भी उन्हें रिपोर्ट दर्ज करना पड़ेगी जिसको अन्य सही थाने में भेज दिया जाता है।

मुल्जिमों को अदालत और जेल भिजवाने के लिए एफ.आई.आर. पहली सीढ़ी है। बिना इसके मुकदमा नहीं चलेगा। मजिस्ट्रेट अदालत में शिकायती दरख़्वास्त शुरू करने के लिए यह काम पहले पूरा कर लेता है, वरना फौजदारी का मुकदमा त्रुटिपूर्ण रहेगा।

एफ.आई.आर. में यह गुण है कि वह दूसरे सबूतों के साथ मिलकर और शक्ति पा जाती है। दूसरी तरफ यदि एफ.आई.आर. दूसरे सबूतों से मेल ना खाये तो दूसरे सबूत कमजोर पड़ जाते हैं। अदालत संदेह करने लगती है। मामला बिगड़ जाता है। केस समाप्त हो जाता है।

प्रश्न : गैर जमानती अपराध का क्या मतलब है?

उत्तर :
- गैर जमानती अपराध की जमानत पुलिस नहीं कर सकती।
- जमानती अपराध में जमानत मिलना आपका अधिकार है जब कि गैर जमानती अपराध में ऐसा नहीं है।

- गैर जमानती अपराध में जमानत का आवेदन मजिस्ट्रेट के यहां देना होता है। अपराध की गंभीरता को देखते हुए मजिस्ट्रेट ही अपने विवेक से जमानत पर छोड़ने या ना छोड़ने का फैसला लेता है।
- कुछ अपराध जिनमें मृत्यु दण्ड या आजीवन जेल की सजा दी जा सकती है इनमें न्यायालय भी जमानत नहीं देती है।

प्रश्न : संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध क्या हैं?

उत्तर : संज्ञेय एवं असंज्ञेय अपराधों की तुलनात्मक विवेचना इस प्रकार है :-

संज्ञेय प्रकरण	असंज्ञेय प्रकरण
• ऐसे अपराध जिसमें पुलिस मजिस्ट्रेट से वारण्ट लिये बिना गिरफ्तार कर सकती है, संज्ञेय अपराध कहलाते हैं।	• ऐसे अपराध जिसमें पुलिस को बिना वारण्ट लिये गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं होता है असंज्ञेय अपराध कहलाते हैं।
• ऐसे अपराधों की सूची दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंत में दी गई है जिनमें बिना वारण्ट के गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसे अपराध के मामले को संज्ञेय प्रकरण कहते हैं।	• ऐसे प्रकरण में पुलिस मजिस्ट्रेट से वारण्ट जारी कराने के बाद ही गिरफ्तार कर सकती है।
• किसी विशेष कानून में भी अपराध को संज्ञेय बनाया जा सकता है।	• मजिस्ट्रेट वारण्ट जारी करने से इन्कार भी कर सकता है।
• किसी व्यक्ति की उपस्थिति में कोई व्यक्ति गैर जमानती और संज्ञेय अपराध घटित करता है तो वह व्यक्ति अपराधी को पकड़कर पुलिस या कोर्ट पहुंचाने का अधिकार रखता है।	

2. पुलिस से संबंधित अधिकार

गिरफ्तारी

यदि किसी कारणवश पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो पुलिस को यह बताना होगा कि किस जुर्म में गिरफ्तारी की जा रही है।

प्रश्न : क्या पुलिस बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है?

उत्तर : हां, कुछ अपराधों में बिना वारंट के गिरफ्तारी हो सकती है।

प्रश्न : क्या गिरफ्तारी के समय हम कानूनी सहायता ले सकते हैं?

उत्तर : किसी वकील को बुलाकर उससे कानूनी सहायता ले सकते हैं। बशर्ते वकील को जल्दी बुलाया जा सके।

प्रश्न : क्या गिरफ्तारी करते समय पुलिस जोर जबरदस्ती कर सकती है?

उत्तर :
- गिरफ्तारी के समय जोर जबरदस्ती करना गैर कानूनी है। गिरफ्तार होने वाला व्यक्ति यदि स्वयं अपने आपको पुलिस हिरासत में दे दे तो उसे हाथ लगाना भी जायज नहीं है।

- गिरफ़्तारी अगर किसी बंद स्थान या मकान से होती है और व्यक्ति स्वयं पुलिस के सामने नहीं आता है या बचने के लिए छिपता है तो मकान मालिक का कर्तव्य होता है कि पुलिस को उस स्थान/मकान में घुसकर, खोजबीन करके आरोपी को पकड़ लेने दे। उसमें बाधा पैदा न करे।
- ऐसे किसी स्थान या मकान में ताला तोड़कर या दरवाजा, खिड़की या दीवार तोड़कर या मकान में किसी तरह से पहुंचने और अपराधी को पकड़ने का अधिकार पुलिस के पास होता है।

प्रश्न : क्या महिला आरोपी को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है?

उत्तर : महिला आरोपी को सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यदि गिरफ्तार करना जरूरी हो तो इसके लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग की अनुमति जरूरी है। सामान्यतः (धारा 46 (4) दण्ड प्रक्रिया संहिता) के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न : क्या गिरफ्तारी के समय हथकड़ी लगाई जाती है?

उत्तर : हथकड़ी लगाना गैर कानूनी है। गिरफ्तारी के समय हथकड़ी नहीं लगायी जाती है।

प्रश्न : हथकड़ी कब लगाई जाती है और किसे लगाई जाती है?

उत्तर : हथकड़ी केवल कुख्यात और आदतन अपराधियों को लगायी जाती है या जिनके भागने की आशंका हो। ऐसे अपराधियों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने तक हथकड़ी लगाई जा सकती है।

प्रश्न : गिरफ्तारी के बाद क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है?

उत्तर :
- गिरफ्तारी के तुरंत बाद पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट को गिरफ्तारी की रिपोर्ट देना जरूरी है।
- गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना जरूरी है।

- बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में रखना गैर कानूनी है।
- शनिवार, रविवार और त्यौहार की छुट्टी वाले दिन भी अदालत में मजिस्ट्रेट बैठते हैं। 24 घंटों में पुलिस स्टेशन से अदालत पहुंचने या यात्रा में लगे समय को नहीं गिना जायेगा।
- किसी महिला की डाक्टरी जांच केवल किसी पंजीकृत महिला मेडिकल आफिसर की देखरेख में ही की जायेगी। यह कार्यवाही CrPC के सेक्शन 53(2) के अंतर्गत की जाती है।

प्रश्न : गिरफ्तारी के बारे में आरोपी के दोस्तों या रिश्तेदारों आदि को सूचना कौन देता है?

उत्तर :
- गिरफ्तार व्यक्ति को दोस्तों, रिश्तेदारों या किसी अन्य व्यक्ति को सूचना पुलिस द्वारा उस स्थान से दी जाती है जहां वह पकड़ा गया है।
- आरोपी की गिरफ्तारी के तुरंत बाद उसे कहा जाता है कि वह अपने किसी परिचित को अपनी गिरफ्तारी की सूचना देने के अधिकार का प्रयोग कर सकता है।
- गिरफ्तारी के बारे में जिसको सूचित किया गया उसका नाम-पता पुलिस स्टेशन की पुस्तिका में दर्ज किया जाता है।
- मजिस्ट्रेट इसकी जांच करते हैं कि गिरफ्तार व्यक्ति की सूचना आरोपी के किसी दोस्त, रिश्तेदार या किसी परिचित को दी गई या नहीं। यह कार्यवाही CrPC के सेक्शन 50 (क) (4) अंतर्गत की जाती है।

प्रश्न : क्या गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के निवेदन पर भी उसकी डाक्टरी जांच करायी जा सकती है?

उत्तर :
- गिरफ्तार किये गये व्यक्ति का ये अधिकार है कि उसकी डाक्टरी जांच हो। इस जांच से केस को समझने में और मदद मिल सकती है।
- गिरफ्तार व्यक्ति अपने इस अधिकार का प्रयोग मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर या हिरासत में किसी भी समय कर सकता है।
- मजिस्ट्रेट गिरफ्तार किये गये व्यक्ति की डाक्टरी जांच किसी पंजीकृत मेडिकल आफिसर से कराये जाने के निर्देश दे देता है लेकिन बहुत देरी होने

या फैसले के निकट मजिस्ट्रेट द्वारा मेडिकल जांच की स्वीकृति नहीं दी जाती है।

प्रश्न : आरोपी की डाक्टरी जांच कौन कराता है?

उत्तर : सब-इन्सपेक्टर से ऊँचे पद के किसी भी पुलिस अधिकारी के निवेदन पर आरोपी की डाक्टरी जांच किसी भी पंजीकृत मेडिकल आफिसर से करायी जा सकती है बशर्ते जांच कराने का पुख्ता आधार हो।

पुलिस थाने में

- झुग्गी बस्ती की एक झुग्गी में चोरी हो गई। थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पड़ोस में रहने वाली लड़की भावना को चोरी करने के शक में पुलिस वाले पकड़कर ले गये। उसे पुलिस स्टेशन के एक छोटे से कमरे में धकेलकर बंद कर दिया। जब तक घरवाले वहां पहुंचते दो पुलिसवालों ने उसका बलात्कार कर दिया। घर वाले आये तो लड़की एक कोने में बैठी सुबक-सुबक कर रो रही थी।
- बस्ती में नल के पानी को लेकर दो पक्षों में जमकर वाद-विवाद हुआ। कुछ देर बाद दोनों में हाथापाई होने लगी। एक पक्ष का राजनैतिक दबदबा था। उसने थाने में जाकर रिपोर्ट करा दी। चार लोगों को पकड़कर पुलिस थाने ले गई। उन्हें बहुत बुरी तरह पीटा गया।
- श्यामा एक मिल में काम करती थी। कुछ दिन पहले मिल में चोरी हो गई। मैनेजर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शक के नाम पर श्यामा का नाम लिखवा दिया गया। पुलिस वाले कुछ मजदूरों के साथ श्यामा को पकड़कर थाने में ले गये। श्यामा से कुछ कागजों पर दस्तखत करवाये गये। श्यामा को बाद में पता चला कि वे कागज जुर्म का इकरारनामा थे।
- सेठ ईश्वरचंद के यहां सोने की अंगूठी चोरी हो गईं ईश्वरचंद ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी। पुलिस ने पूछा कि किसी पर शक हो तो उसका नाम लिखवा दीजिये। ईश्वरचंद ने घर के नौकर सन्तराम का नाम लिखवा दिया। थाने में सन्तराम के साथ मारपीट की गई। अगले दिन ईश्वरचंद ने थाने में पहुंचकर थानेदार से कहा कि अंगूठी मिल गई है। सन्तराम को छोड़ दीजिए। थानेदार ने कहा "लेकिन सन्तराम ने तो अपना जुर्म कबूल कर लिया है।"

इस तरह की अनेक घटनाओं के बारे में अक्सर समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलता रहता है। आमतौर पर हर थाने में इस तरह की घटनाएं नहीं होतीं। इस तरह गैरकानूनी काम के लिए कानून में सजा का प्रावधान है।

प्रश्न : क्या कानून पुलिस हिरासत में यातना देने की इजाजत देता है?

उत्तर : नहीं। पुलिस हिरासत में सताना, मारपीट करना या किसी अन्य तरह की यातना देना गंभीर अपराध है।

प्रश्न : यदि अपराध में किसी व्यक्ति को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है तो क्या घरवाले, पहचान वाले या रिश्तेदार साथ जा सकते हैं?

उत्तर : जा सकते हैं। पुलिस को यह अधिकार नहीं है कि उन्हें साथ चलने से रोके।

प्रश्न : यदि हिरासत में पुलिस द्वारा बुरा व्यवहार या मारपीट की गई है तो उसकी शिकायत कहां की जाती है? कैसे की जाती है?

उत्तर : मजिस्ट्रेट के यहां -

- अगर पुलिस का कोई अधिकारी हिरासत में सताता है तो उसका नाम, हुलिया बताकर उसके खिलाफ कोर्ट में कार्यवाही की जा सके।
- तुरंत डॉक्टरी जांच की मांग करें, सरकारी डॉक्टर जांच करेगा और रिपोर्ट भी देगा।

प्रश्न : यदि किसी महिला को थाने में गिरफ्तार करके पुलिस ले आई है, क्या उसे पुरूष लॉकअप में रखा जाएगा?

उत्तर :
- औरत को केवल औरतों वाले कमरे में ही रखा जा सकता है।
- हिरासत में बुरा व्यवहार होने पर मजिस्ट्रेट के सामने डॉक्टरी जांच की मांग करें। मजिस्ट्रेट भी डॉक्टरी जांच का आदेश दे सकता है।
- पुलिस स्टेशन में महिला पुलिस उपस्थित रहे इसकी मांग करना चाहिये।

प्रश्न : थाने में यदि अधिकारी किसी कागज पर दस्तखत करने को कहे तो क्या करें?

उत्तर : बिना पढ़े या बिना जाने किसी भी कागज पर दस्तखत ना करें। ना ही अंगूठा लगायें। अगर आप अनपढ़ हैं तो किसी और से पढ़वा लें। मजिस्ट्रेट को बताएं कि आपसे जबरदस्ती कागज पर दस्तखत कराए गये हैं।

प्रश्न : अक्सर पुलिस के डर से निरपराध भी जुर्म कुबूल कर लेते हैं। तब उसे न्याय कैसे मिलेगा?

उत्तर : पुलिस के सामने जुर्म कबूलने से अपराधी नहीं ठहराया जा सकता।

केवल मजिस्ट्रेट के सामने कबूल किया गया जुर्म ही मान्य है। अगर मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस जुर्म कबूल करने के लिए दबाव डालती है तो साफ इन्कार कर देना चाहिए और मजिस्ट्रेट महोदय को भी सच बता देना चाहिए कि आप पर दबाव डाला जा रहा है।

महिला बंदियों के अधिकार

- महिला बंदियों के स्वास्थ्य की नियमित परीक्षा जेल के अस्पताल में कराई जायेगी।
- गर्भवती महिला की परीक्षा तथा इलाज जेल अस्पताल की सिफारिश पर सरकारी अस्पताल में कराया जायेगा तथा सुरक्षित प्रसव का प्रबंध किया जायेगा। विशेष आहार तथा दवायें दी जायेंगी।
- जेल में प्रवेश के समय महिला गर्भवती तो नहीं है इसकी परीक्षण सावधानी के बतौर कराई जायेगी। महिला डाक्टर से ही परीक्षा कराई जायेगी।
- बंदीगृह में रहने के दिनों में किसी बंदी महिला के गर्भवती हो जाने पर जेल के उच्चाधिकारी द्वारा जांच की जायेगी। यदि कोई जेल अधिकारी या कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध विभागीय कठोर कार्यवाही की जायेगी।
- यदि कोई बंदी महिला बलात्कार या जोर-जबर्दस्ती या जयादती की शिकार बनाई जाती है तो आरोपी के विरुद्ध एफ.आई. आर. लिखाई जा सकती है तथा अदालत से सजा दिलायी जा सकती है।

पूछताछ

- किसी महिला से पूछताछ उसके घर पर ही की जा सकती है और कहीं नहीं। महिला पूछताछ के लिए थाने जाने से मना कर सकती है।

- 15 वर्ष से कम उम्र के लड़के को भी पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन नहीं ले जाया जा सकता।
- पुरुष को भी पूछताछ के लिए थाने में लिखित आदेश से बुलाया जा सकता है।
- पूछताछ के लिए कानूनन कोई खास वक्त तय नहीं है। हम किसी तय वक्त पर ही पूछताछ के लिए नहीं कह सकते।
- अगर हमें लगता है कि पुलिस ऐसे समय पर आती है जिससे हमें परेशानी और शर्मिंदगी या हमारी मर्यादा का उल्लंघन होता है तो हम मजिस्ट्रेट से किसी तयशुदा समय पर ही सवालात किये जाने की मांग कर सकते हैं।

प्रश्न : क्या सवाल-जवाब या पूछताछ के वक्त किसी दोस्त या वकील की मदद ली जा सकती है?

उत्तर : हां। आप अवश्य ही मदद ले सकते हैं और पुलिस इसके लिए मना नहीं करती। यदि आपको लगता है कि झूठे आरोप में आपको फंसाया जा रहा है तो आप जवाब देने से मना कर सकते हैं। जितना आप जानते हैं आपको सच-सच बोल देना चाहिये।

प्रश्न : क्या पुलिस अफसर पूछताछ के समय डरा-धमका सकता है?

उत्तर : बिलकुल नहीं। पुलिस अफसर को आपको डराने-धमकाने का अधिकार नहीं है। आपको केवल सवाल या पूछताछ के लिए हिरासत या लॉकअप में नहीं रख सकते। पुलिस आपसे किसीकागज पर दस्तखत या अंगूठा नहीं लगवा सकती।

तलाशी

- सिर्फ एक महिला ही किसी महिला की तलाशी ले सकती है। इतना ही नहीं, महिला तलाशी ले रही है तब भी तलाशी लेते समय महिला के साथ बदसुलूकी नहीं की जा सकती।

- पुरुष पुलिस अधिकारी मकान या दुकान की तलाशी ले सकते हैं।
- तलाशी लेने वाले की भी तलाशी ली जा सकती है।
- चोरी के सामान या फर्जी दस्तावेज इत्यादि के लिए तलाशी ली जा सकती है। लेकिन बिना कार्यवाही के तलाशी लेना गैरकानूनी है।
- मजिस्ट्रेट वारंट के बिना तलाशी नहीं ली जा सकती।
- तलाशी और बरामदगी के वकत जरूरी है कि आसपास के निष्पक्ष प्रतिष्ठित व्यक्ति वहां हों।
- अगर तलाशी होती है और तलाशी में कोई वस्तु जैसे- रूपया, पैसा, जेवर आदि जब्त की जाती है तो उसका पंचनामा बनाया जाता है। पंचनामे पर पास में रहने वाले उन दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के दस्तखत होना जरूरी है जो तलाशी के वकत वहां मौजूद थे। पंचनामे की एक प्रति आपको भी दी जाती है। सामान्यतः यह कार्यवाही धारा-51 CrPC के तहत की जाती है।
- अगर पुलिस के कहने पर भी स्थान या मकान का मालिक या देखरेख करने वाला स्थान को नहीं खोलता है या जाने नहीं देता तो पुलिस उचित सावधानी के साथ उस मकान में खिड़की, दरवाजा तोड़कर या ताला तोड़कर या अन्य तरह से प्रवेश करके तलाशी या निरीक्षण कर सकती है।
- पुलिस ऐसी किसी भी कार्यवाही का रिकार्ड रखेगी।
- अगर गिरफ्तारी के समय पुलिस को या वारण्ट का पालन करने वाले व्यक्ति को ऐसे स्थान या मकान में बंद कर दिया जाये तो उसे अधिकार होता है कि वह किसी भीतरी या बाहरी स्थान का ताला तोड़कर या जरूरी तोड़-फोड़ करके बाहर आ जाये।
- अगर तलाशी वाले स्थान में कोई स्त्री जो पर्दे में रहती है, निवास करती है तो उसे पहले बाहर निकल आने को कहना जरूरी है। उसके बाहर निकलने पर तलाशी की कार्यवाही की जा सकती है।
- यदि संभव हो तो महिला पुलिस की मदद ली जाती है।

3. कोर्ट में अपराध की सुनवाई

प्रश्न : सुनवाई के समय क्या वकील की मदद ले सकते हैं?

उत्तर : हां, वकील की मदद तुरंत ले सकते हैं।

प्रश्न : गरीब और निःसहाय व्यक्ति को न्याय कैसे मिलेगा?

उत्तर : ऐसे व्यक्ति को मुफ्त कानूनी मदद दिये जाने का प्रावधान है जिसे विधिक सहायता कहते हैं। इसमें कोर्ट द्वारा ही वकील नियुक्त कराया जाता है। कोर्ट व वकील का कोई खर्चा नहीं देना पड़ता, केस सरकारी खर्चे पर लड़ा जाता है।

प्रश्न : कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है?

उत्तर : कोर्ट की सिलसिलेवार प्रक्रिया इस प्रकार से होती है-

- सब से पहले पुलिस द्वारा आरोप पत्र पेश किया जाता है।
- उन आरोपों का निर्धारण करने के बाद आरोपी पर केस चलाया जाता है।
- अपराध संबंध में सुबूत पेश किये जाते हैं।
- आरोपी अपने बचाव में सारी चीजें प्रस्तुत करता है।
- इन्हीं के आधार पर केस चलता है। कोर्ट अपना निर्णय देता है।
- आरोप, साक्ष्य, गवाह, सुनवाई और वकीलों की बहस सुनने के बाद यदि कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचता है कि अपराध किया गया है तो कोर्ट सजा सुना देता है जिसमें कानून की धारा के अनुसार जुर्माना या कारावास या दोनों हो सकते हैं। यदि कोर्ट यह पाता है कि आरोपी निर्दोष है तो आरोपी को आरोपों से बरी करते हुए निरपराध घोषित कर दिया जाता है।

4. जमानत

प्रश्न : जमानत क्या है?

उत्तर : किसी अपराध की कार्यवाही या सुनवाई के दौरान गिरफ्तार किये गये आरोपी को कुछ शर्तों पर छोड़ा जा सकता है, जिसे जमानत कहते हैं। जमानत की जवाबदारी या तो व्यक्ति को स्वयं लेनी होती है या कोई अन्य व्यक्ति जवाबदारी लेता है।

प्रश्न : जमानती और गैर जमानती अपराध क्या है?

उत्तर : जैसा कि शब्द से ही साफ है कि कुछ अपराध जमानती होते हैं और कुछ गैर जमानती। जमानती अपराध में गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को जमानत पर छोड़े जाने का अधिकार होता है। लेकिन गैर जमानती अपराध में आरोपी को मजिस्ट्रेट के आदेश मिलने के बाद ही छोड़ा जा सकता है। गिरफ्तार करते समय पुलिस को यह बताना होता है कि गिरफ्तार किये गये किस जुर्म में पुलिस आपको जमानत पर छोड़ सकती है या जमानत के लिए मजिस्ट्रेट का आदेश जरूरी है। यदि पुलिस यह जानकारी नहीं देती है तो पुलिस से पूछ लेना चाहिये कि जिस अपराध में गिरफ्तारी की जा रही है वह जमानती है या गैर जमानती।

जमानती अपराध

- जमानत पर छोड़े जाने का अधिकार होता है।
- जमानती अपराध की जमानत पुलिस कर सकती है।
- जमानती अपराध में जमानत मिलना हमारा अधिकार है।

गैर जमानती अपराध

- मजिस्ट्रेट के आदेश मिलने के बाद ही जमानत पर छोड़ा जा सकता है।
- गैर जमानती अपराध की जमानत पुलिस नहीं कर सकती।
- जिन अपराधों में मृत्यु दंड या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है उनमें जमानत नहीं होती।
- गैर जमानती में जमानत मिलना मजिस्ट्रेट के विवेक पर है।
- कुछ अपराधों में मजिस्ट्रट भी जमानत नहीं देते।

प्रश्न : कौन-कौन से जुर्म जमानती हैं और कौन-कौन से गैर जमानती?

उत्तर : इसकी सूची दण्ड प्रक्रिया संहिता (1973) और अन्य कानूनों में दी गयी है।

प्रश्न : जमानत कैसे होती है?

उत्तर : जिस जुर्म में जमानत पर छोड़ा जा सकता है उसके लिए जमानत मिलना आरोपी का अधिकार है। जमानत के लिए जमानत पत्र पर हस्ताक्षर करने होते हैं। इसके साथ किसी व्यक्ति की जमानत भी लगेगी। कुछ अपराध ऐसे हैं जिसके लिए पुलिस को जमानत देनी ही पड़ेगी।

प्रश्न : क्या जमानत रद्द भी हो सकती है?

उत्तर : हां, जमानत से छूटने के बाद यदि गवाहों को डराया-धमकाया या बहकाया या सुबूतों के साथ छेड़छाड़ की जाती है तो जमानत रद्द भी हो सकती है।

याद रखें जमानत पर छूटने का मतलब बरी होना नहीं है।

प्रश्न : जमानत की अर्जी में क्या-क्या लिखना होता है?

उत्तर :

- नाम एवं गिरफ्तारी की तारीख
- किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है
- पता, वहां पर कितने सालों से रह रहे हैं। परिवार का संक्षिप्त विवरण
- मकान क्या आपका है या पिता का है या किराये का है
- मकान किराये से है तो मकान मालिक का संक्षिप्त विवरण
- कहां काम करते हैं, कितने सालों से काम कर रहे हैं
- क्या इससे पहले आपको कभी गिरफ्तार किया गया है (तभी लिखें जब यह सच हो)
- लिखें कि आपने यह गुनाह नहीं किया है- (तभी लिखें जब यह सच हो)
- मेरी यह प्रार्थना है कि मुझे जमानत पर रिहा किया जाए
- अपने बारे में कोई जानकारी देना चाहें तो दे सकते हैं जैसे मैं---------जगह/समुदाय का रहने वाला हूं। ----------समुदाय/जगह के लोग मुझे जानते हैं और इसीलिए मेरे भाग जाने की आशंका नहीं होनी चाहिए।

प्रश्न : जमानत की अर्जी किसको दी जाती है?

उत्तर : गिरफ्तारी के पहले ही दिन अदालत में पहली पेशी के दिन जज साहब को एक सादे कागज पर लिखकर दी जाती है।

प्रश्न : अग्रिम जमानत क्या होती है?

उत्तर : जब किसी व्यक्ति को यह आशंका हो कि उसे किसी गैर जमानती अपराध में गिरफ्तार किया जा सकता है तो कानून में उसे रियायत दी है वो उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। यानि गिरफ्तारी की स्थिति में तुरंत जमानत पर छोड़ दिया जाय।

प्रश्न : अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कहां देना होता है?

उत्तर : सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय में।

प्रश्न : इसके लिये क्या शर्तें होती हैं?

उत्तर :

- पुलिस जब जहां बुलाये पूछताछ के लिये वहां पहुंचना।
- गवाहों को डराने, धमकाने, लालच देने से बचना।
- न्यायालय की अनुमति के बिना देश से बाहर न जाना वगैरह।
- अग्रिम जमानत का आदेश होने पर मजिस्ट्रेट भी जमानती वारण्ट जारी करता है।

न्यायालय में उपस्थित होने पर शर्तों के अनुसार जमानत और मुचलका देना पड़ते हैं।

5. जमानती अपराध, रिमांड

प्रश्न : जमानती अपराध की जमानत कहां से होती है?

उत्तर :

- जमानती अपराध में पुलिस ही अपराधी को जमानत लेकर छोड़ सकती है।

  इसके लिए अपराधी का कोई रिश्तेदार या जान-पहचान वाला व्यक्ति अपनी जमानत पर आरोपी को छोड़ने की जिम्मेदारी लेता है। जमानत किसी भारी रकम की नहीं होती। कुछ रुपयों की जमानत पर ही आरोपी को छोड़ दिया जाता है।

- पुलिस या कोर्ट निजी बाण्ड के साथ-साथ किसी दूसरे की एक या अधिक जमानत देने के लिये भी आदेश दे सकती है। जमानत देने वाला अपराधी गरीब नहीं होना चाहिये। जितनी रकम के बाण्ड भरने का आदेश हो उतनी रकम चुका सकने की हैसियत वाला ही जमानत दे सकता हैं। ऐसे जमानतनामा को प्रतिभूति पत्र या सिक्योरिटी बाण्ड कहते हैं और जमानत देने वाले को जमानतदार कहते हैं।

- अगर जमानत पर छोड़ा गया व्यक्ति जमानत की शर्त भंग करता है तो जमानत जब्त की जाती है और जमानतदार को बाण्ड की रकम सरकार को देना पड़ता है।

प्रश्न : जमानत के लिए क्या वकील का होना जरूरी है?

उत्तर : जमानती अपराध में जमानत के लिए वकील की जरूरत नहीं हैं। जमानत के लिए पुलिस एक आवेदन पत्र देती है। उसे भरकर देना होता है।

प्रश्न : क्या आवेदन पत्र भरने से ही जमानत मिल जाती है?

उत्तर : आवेदन पत्र भरने के बाद एक या दो व्यक्तियों की गवाही लगती है। जमानत पत्र में जमानती इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं कि जरूरत पड़ने पर आरोपी पुलिस या कोर्ट में हाजिर रहेगा।

प्रश्न : क्या जमानत करते समय नकद पैसे भरे जाते हैं?

उत्तर : जमानत करते समय पैसे नकद तो नहीं दिये जाते लेकिन यदि आरोपी कोर्ट की कार्यवाही में शामिल नहीं होता या भाग जाता है तो जमानती को जमानत पत्र में भरी गई जमानत राशि का पैसा भरना पड़ता है।

जमानत-पत्र

आपका नाम : आपका पता :

थाने या कोर्ट का नाम : जमानत की रकम :

जमानत की शर्तें :

(जैसे : किसी भी दिन बुलाये जाने पर आरोपी उस थाने या कोर्ट में हाजिर होने के लिए वचनबद्ध होता है।)

उसमें यह भी लिखा होगा कि यदि जमानत की शर्तें तोड़ी गयीं तो सरकार के पक्ष में जमानत की रकम जब्त कर ली जाय।

जमानत की शर्तें तोड़ने पर जमानत लेने वाले को एक सूचना दी जायेगी कि जमानत की रकम जमा कराई जाय। यदि उस पर भी रकम जमा नहीं कराई जाती तो जमानती की सम्पत्ति जब्त करने का वारंट निकाला जायेगा। जमानत की शर्तें तोड़ने पर आरोपी को फिर से गिरफ्तार कर लिया जायेगा।

प्रश्न : जमानत योग्य आरोपी कौन-कौन होते हैं?

उत्तर : अगर पकड़ा गया व्यक्ति -

- सोलह साल से कम आयु का है, महिला है, या बीमार और अशक्त है तो ऐसे आरोपी को जमानत पर छूटने की योग्यता होती है।
- अगर कोर्ट को थोड़ा भी ऐसा लगे कि पकड़े गये व्यक्ति के विरूद्ध मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास की सजा योग्य मामला नहीं दिखता तो कोर्ट उस व्यक्ति को शर्तें लगाकर जमानत पर छोड़ सकती है।
- पकड़े गये व्यक्ति को निजी मुचलका और दूसरे इज्जतदार और पैसे वाले जमानतदार की जमानत देनी पड़ती है तभी उसे जमानत पर छोड़ा जा सकता है। वरना जेल में बंद रखकर ही मामले की सुनवाई होती है।
- यदि आरोपी मुकदमा चलाने की अवधि में हिरासत में है और अपराध में निर्धारित की गई सजा की आधी अवधि काट चुका है तो उसे निजी बांड पर छोड़ना जरूरी है।
- लेकिन यह प्रावधान मृत्युदंड दिये जाने वाले अपराधों पर लागू नहीं होता।

रिमांड

किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के सामने जब पेश किया जाता है तो कोर्ट तीन कार्यवाही कर सकता है-

- जमानत पर छोड़ सकता है, पुलिस हिरासत में भेज सकता है या न्यायिक हिरासत में भेज सकता है।

प्रश्न : पुलिस हिरासत की कार्यवाही क्या होती है, कैसे होती है?

उत्तर : आरोपी को अदालत में पेश करते समय पूछताछ जारी रखने के लिए पुलिस आरोपी को अपनी हिरासत में रखने की मांग कर सकती है। कोर्ट की लिखित स्वीकृति के बाद गिरफ्तार व्यक्ति को पुनः पुलिस थाने में ले जाया जाता है।

प्रश्न : पुलिस हिरासत में आरोपी को कब तक रख सकती है?

उत्तर : किसी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में 15 दिन से ज्यादा नहीं रखा जा सकता।

प्रश्न : कहते हैं रिमांड में लेने के बाद व्यक्ति को बड़ी यातनाएं दी जाती हैं?

उत्तर : पुलिस रिमांड के दौरान किसी व्यक्ति के साथ बुरा व्यवहार या मारपीट करना गैर कानूनी है। यदि ऐसा किया जाता है तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश किये जाने पर इसकी शिकायत की जा सकती है।

प्रश्न : न्यायिक हिरासत क्या होता है?

उत्तर : न्यायिक हिरासत को जुडिशियल कस्टडी भी कहते हैं। ''न्यायिक हिरासत'' का मतलब है कि कार्यवाही के लिए आरोपी को कोर्ट में संरक्षण में, जेल में रखा जायेगा और कार्यवाही के दौरान उसे वहीं से पेश किया जायेगा।

प्रश्न : न्यायिक हिरासत कितने समय के लिए होती है?

उत्तर :
- न्यायिक हिरासत एक समय में सिर्फ 15 दिन के लिए हो सकती है।
- 15 दिन की हिरासत के बाद यदि हिरासत को बढ़ाना हो तो बंदी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके कोर्ट का आदेश फिर से लेना होता है। बंदी को केवल कोर्ट के लॉक-अप तक लाना काफी नहीं हैं। बंदी को शारीरिक रूप से मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। जज के सामने पेश किये बिना हिरासत की अवधि बढ़ाना गैर कानूनी है।

राजू को बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया।

महेश को कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। उसे भी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया जिसे मजिस्ट्रेट के आदेश पर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

ये दोनों ही घटनाएं अपराध से संबंधित हैं लेकिन राजू को पुलिस हिरासत में भेजा गया और महेश को न्यायिक हिरासत में।

प्रश्न : पुलिस हिरासत और न्यायिक हिरासत में क्या फर्क है।

उत्तर :
- उक्त घटनाओं में महेश और राजू दोनों का अपराध गैर जमानती है। गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को पुलिस 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर देती है।

- यदि मजिस्ट्रेट जमानत देने को मना कर देते हैंतो गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस हिरासत या न्यायिक हिरासत में कहीं भी भेजा जा सकता है?
- आमतौर पर पुलिस, आरोपी को पुलिस हिरासत में लेने की मांग करती है ताकि पूछताछ करके अपराध की छानबीन में मदद मिल सके। पुलिस हिरासत में आरोपी लॉक-अप में ही रहता है।
- न्यायिक हिरासत में आरोपी जेल में रहता है। न्यायिक हिरासत में रखे जाने पर मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना पुलिस आरोपी से पूछताछ नहीं कर सकती।
- हिरासत की अवधि 15 दिन से अधिक नहीं हो सकती।

प्रश्न : क्या अपराध की सुनवाई और निर्णय होने तक पूरे समय आरोपी को जेल में ही रहना पड़ता है?

उत्तर : यदि आरोपी की जमानत न हो तो उसे जेल में ही रहना पड़ेगा।

प्रश्न : क्या आरोपी कभी भी जमानत की अर्जी लगा सकता है?

उत्तर : आरोपी चाहे तो बार-बार जमानत की अर्जी लगा सकता है। कानून में यह प्रावधान है कि यदि जांच एक समय सीमा में खत्म नहीं हो जाती तो आरोपी को जमानत पर छूटने का अधिकार है।

प्रश्न : जांच की समय सीमा क्या होती है?

उत्तर :
- जिन अपराधों की सजा मृत्यु, आजीवन कारावास या कम से कम 10 साल का कारावास है, उनमें जांच या आरोप-पत्र 90 दिन के अन्दर न होने से आरोपी जमानत का हकदार होता है। बाकी अपराधों के लिए जांच आरोप-पत्र 60 दिन में पूरी न होने पर आरोपी जमानत का हकदार होता है।

6. राजीनामा और गैर राजीनामा प्रकरण

दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार तीन प्रकार के अपराध होते हैं

- राजीनाम योग्य।
- न्यायालय की अनुमति से राजीनामा योग्य।
- जिनमें राजीनामा नहीं हो सकता।

प्रथम वर्ग- राजीनामा योग्य अपराध

- किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के लिये कहे गये अनुचित कथन।
- साधारण चोट पहुंचाना।
- अनुचित रूप से किसी को रोके रखना या बंद कर लेना।
- किसी पर प्रहार करना या आपराधिक बल का प्रयोग करना।
- किसी व्यक्ति को निजी नुकसान पहुंचाने की शरारत करना।
- आपराधिक अतिक्रमण।
- गृह अतिचार अर्थात किसी के घर में गलत इरादे से प्रवेश या बने रहना।
- व्यभिचार।
- विवाहिता को भगा ले जाने या गलत इरादे से रोके रखना।
- मानहानि।
- जानबूझकर अपमानजनक सामग्री छापना या खुदवाना या बेचना।
- शांति भंग करने के लिये उकसाने हेतु अपमान करना।
- आपराधिक धमकी देना।
- दैवी शक्तियों के प्रकोप का भय दिखाकर कोई कार्य करा लेना।

दूसरा वर्ग- न्यायालय की अनुमति से राजीनामा योग्य

- इसके अंतर्गत न्यायालय, जिसमें मामलों की सुनवाई चल रही हो की अनुमति से परिवादी आरोपी के राजीनामा कर सकता है। इस वर्ग के निम्न प्रकार के अपराध आते हैं।
- किसी खतरनाक हथियार या वस्तु से घायल करना।

- जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना।
- आपराधिक धमकी देना।
- दैवी शक्तियों के प्रकोप का भय दिखाकर कोई कार्य करा लेना।

दूसरा वर्ग-न्यायालय की अनुमति से राजीनामा योग्य

इसके अंतर्गत न्यायालय, जिसमें मामलों की सुनवाई चल रही हो की अनुमति से परिवादी आरोपी के राजीनामा कर सकता है। इस वर्ग में निम्न प्रकार के अपराध आते हैं-

- किसी खतरनाक हथियार या वस्तु से घायल करना।
- जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना।
- किसी के भारी उकसावे में आकर अचानक गंभीर चोट पहुंचाना।
- आवेग या लापरवाही से किसी को गंभीर चोट या प्राण संकट में डालना।
- तीन दिन या अधिक समय तक किसी को बंद रखना।
- किसी को गुप्त स्थान में बंद रखना।
- किसी स्त्री का शील भंग करने के इशारे से उस पर बल प्रयोग करना।
- किसी को बंद रखने की कोशिश में प्रहार या बल प्रयोग करना।
- दो सौ पचास रुपये के मूल्य तक की वस्तु की चोरी।
- किसी की संपत्ति को बुरी नीयत से रख लेना या उपयोग में ले लेना।
- दो सौ पचास रुपये तक की संपत्ति को भाड़े पर ढुलाई करते समय विश्वासघात से हड़प लेना।
- अपने मालिक की दो सौ पचास रुपये तक की वस्तु क्लर्क या सेवक के द्वारा विश्वासघात करके हड़प लेना।
- दो सौ पचास रुपये तक मूल्य की चोरी की संपत्ति बेईमानी से खरीदना।
- इसी मूल्य की चोरी की वस्तु को छिपाने या इधर-उधर करने में मदद करना।
- धोखाधड़ी।
- संरक्षण के कर्तव्य वाली संपत्ति के संबंध में धोखाधड़ी करना।

- किसी और का रूप रखकर धोखाधड़ी करना।
- धोखा देकर किसी को मूल्यवान संपत्ति देने के लिए विवश करना या मूल्यवान दस्तावेजों में काट-छांट करना या नष्ट करना।
- साहूकारों को संपत्ति प्राप्त करने या विभाजन में बाधा पहुंचाने के लिये कपटपूर्वक संपत्ति को छिपाना या हटाना।
- कपटपूर्वक संपत्ति के क्रय-विक्रय में मूल्य संबंधी गलत कथन दिखाना।
- कपटपूर्वक संपत्ति को निकालना या छिपाकर रखना।
- दस रुपये से अधिक मूल्य के किसी जानवर या पशुधन को मार डालना या उसका अंग भंग करना।
- किसी व्यक्ति की सिंचाई वाले जल का बहाव अनुचित रूप से बदल कर उसे नुकसान पहुंचाने की शरारत करना।
- चोरी की नीयत से भिन्न कोई अपराध करने के लिये किसी के घर में घुसना।
- झूठे व्यापारिक चिन्ह या संपत्ति चिन्ह का प्रयोग करना।
- किसी के व्यापारिक या संपत्ति चिन्ह की नकल करना।
- झूठ और नकल किये गये व्यापारिक या संपत्ति चिन्ह वाली वस्तु को जानबूझकर बेचना या रखना।
- पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह करना।
- राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति या राज्यपाल या केन्द्र शासित क्षेत्र के प्रशासक के विरूद्ध उसके लोक कर्तव्य पालन को लेकर मानहानि करना।
- किसी स्त्री को भद्दे इशारे करना या शब्द कहना या कोई वस्तु दिखाना ताकि स्त्री की मर्यादा भंग हो या उसकी निजता पर आंच आये।

तीसरे वर्ग में इनके अतिरिक्त वे अपराध हैं जो राजीनामा योग्य नहीं होते। उनमें न्यायालय सुनवाई के बाद सजा देता है या सिद्ध न होने पर अपराधी को छोड़ देता है।

प्रश्न : राजीनामा कौन कर सकता है-

उत्तर : जिसके प्रति अपराध हुआ हो।

- यदि ऐसा व्यक्ति अठारह वर्ष से कम आयु का है, या नासमझ या पागल है तो उसका पालक या संरक्षक राजीनामा कर सकता है।
- यदि राजीनामा कर सकने वाला परिवादी मर जाये तो उसका कानूनी उत्तराधिकारी राजीनामा कर सकता है या
- न्यायालय की अनुमति से कोई दूसरा भी राजीनामा कर सकता है।
- लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसे पहले सजा दी जा चुकी हो, इस कारण उसे दूसरे अपराध में बढ़ा हुआ दण्ड या दूसरे प्रकार का दण्ड दिया जाना हो, राजीनामा नहीं कर सकता।

राजीनामा की कानूनी प्रक्रिया

- राजीनामा स्वीकार हो जाने पर आरोपी उस आरोप से मुक्त या बरी माना जाता है जो उसने राजीनामा करने वाले के प्रति किया था।
- कानून में इनके अलावा और किसी प्रकार से राजीनामा नहीं किया जा सकता।

एक महत्वपूर्ण फैसला

डी.के. बासु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, 1997

ये निर्देश इस प्रकार हैं-

पूछताछ और गिरफ्तारी के समय

- सभी पुलिस कर्मचारी एक पट्टी लगायेंगे जिस पर उनका नाम और पद स्पष्ट रूप से लिखा हो।
- जो पुलिस अधिकारी पूछताछ में शामिल है उनका पूरा ब्यौरा रजिस्टर में दर्ज होना चाहिये।

गिरफ्तारी पर्चा (मैमो ऑफ अरेस्ट)

- गिरफ्तारी करते समय पुलिस एक गिरफ्तारी पर्चा बनायेगी।

- इस पर्चे में कम से कम एक गवाह के हस्ताक्षर होंगे। यह गवाह परिवार का सदस्य हो सकता है या क्षेत्र का कोई जाना-माना व्यक्ति भी हो सकता है।
- पर्चे पर गिरफ्तार व्यक्ति के हस्ताक्षर होंगे।
- पर्चे पर गिरफ्तारी का समय और तारीख भी लिखी होगी।

निरीक्षण पर्चा (इन्स्पेक्शन मैमो)

- गिरफ्तार व्यक्ति के बदन पर साधारण या गंभीर चोटों की जांच होनी चाहिये।
- यदि चोट के निशान हैं तो वो निरीक्षण पर्चे में दर्ज होगी।
- निरीक्षण पर्चे की एक कॉपी गिरफ्तार व्यक्ति को दी जायेगी।
- आरोपी को यह अधिकार है कि उसकी गिरफ्तारी की सूचना किसी को दी जाय।
- गिरफ्तार व्यक्ति का यह अधिकार है कि उसकी गिरफ्तारी की सूचना उसके किसी परिचित या रिश्तेदार को दी जाये। सूचना में यह भी शामिल हो कि उसे किस स्थान पर रखा गया है।
- यदि परिचित या रिश्तेदार किसी अन्य शहर में रहते हैं तो वहां के थाने को तार के माध्यम से गिरफ्तारी के 8 से 12 घंटे के अंदर सूचना दे दी जाये।

यह सूचना उस जिले के कानूनी सलाह केन्द्र के माध्यम से भी दी जा सकती है।

थाने की डायरी (रोजनामचा)

- गिरफ्तारी के तथ्य रोजनामचे में दर्ज होने चाहिये।
- आरोपी के जिस परिचित को गिरफ्तारी की सूचना दी गई है उसका नाम और पता दर्ज होना चाहिये।
- रोजनामचे में यह भी दर्ज होना चाहिए कि आरोपी को किस पुलिस अधिकारी की हिरासत में रखा गया है।

- गिरफ्तार व्यक्ति की जांच हर 48 घंटे बाद प्रशिक्षित डॉक्टर से कराई जाय।
- जांच करने वाला डॉक्टर उस जांच या केन्द्र शासित प्रदेश के स्वास्थ्य सेवा संचालक द्वारा चुने गये पैनल का सदस्य होना चाहिये।
- स्वास्थ्य सेवा संचालक की भी जिम्मेदारी है कि सभी तहसीलों तथा जिला मुख्यालयों के लिए इस तरह के पैनल तैयार करवायें।

कानूनी मदद का अधिकार

- गिरफ्तार व्यक्ति को पूछताछ के दौरान अपने वकील से मिलने की अनुमति मिलना चाहिये।

क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट

- क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट को गिरफ्तारी से संबंधित सभी कागजों की एक नकल भेजा जाना बहुत जरूरी है।
- इसमें गिरफ्तारी पर्चा भी शामिल है।

पुलिस कन्ट्रोल रूम

- सभी जिलों में और राज्य मुख्यालयों में पुलिस कन्ट्रोल रूम हों।
- गिरफ्तार व्यक्ति को रखने के स्थान की सूचना पुलिस कन्ट्रोल रूम को गिरफ्तारी के 12 घंटे के अंदर अवश्य भेजें।
- यह जानकारी कन्ट्रोल रूम में ऐसे नोटिस बोर्ड पर साफ शब्दों में लगाई जानी चाहिए जिसे सभी पढ़ सकें।

7. मानव अधिकार आयोग

मानव अधिकार आयोग एक ऐसा आयोग है जो मनुष्य के मूल अधिकारों की रक्षा करता है। अगर कहीं ऐसा पाया जाता है कि पुलिस की ज्यादती या अन्य किन्हीं कारणों से मनुष्य के मूल अधिकारों का हनन हुआ है तो यह अपराध की ही श्रेणी में आता है। मानव अधिकार आयोग में ऐसी घटना की शिकायत दर्ज की जा सकती है। जिस पर आयोग न्यायोचित निर्णय लेता है।

प्रश्न : हिरासत में या जेल में मौत हो जाने पर मानव आयोग के क्या निर्देश हैं?

उत्तर : ऐसी घटना की सूचना 24 घंटे के अंदर आयोग को भेजी जानी चाहिये।

प्रश्न : यदि मृत्यु की सूचना आयोग को नहीं भेजी जाती है तो?

उत्तर : यह समझेंगे कि प्राधिकारी मृत्यु से जुड़े तथ्यों को छुपा रहे हैं।

प्रश्न : मृत्यु की सूचना तुरंत दी गई उसे सुनिश्चित करने के लिए आयोग के क्या निर्देश हैं?

उत्तर :

- आयोग ने राज्यों को निर्देश दिये हैं कि शव-परीक्षण की वीडियो फिल्म उतारी जायेगी और उसे आयोग के सामने प्रस्तुत किया जायेगा।
- आयोग ने यह भी निर्देश दिये हैं कि हर राज्य के पुलिस मुख्यालय में मानव अधिकार सेल बनाये जायें।
- सूचना देने वाले को जबरदस्ती अपना नाम व पता बताने को न कहा जाये।
- हिरासत में यदि हिंसा या कोई मौत हो जाती है तो मामलों को सीधे राज्य के उच्च न्यायालय में एक याचिका द्वारा किया जा सकता है।
- हिरासत में हिंसा के शिकार व्यक्ति को आर्थिक मुआवजा दिया जायेगा।

यदि आपको लगता है कि मानव अधिकारों का हनन करते हुए पुलिस ने आप पर अत्याचार किया है तो आप इसकी शिकायत निम्नलिखित पते पर दर्ज करायें -

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, फरीदकोट हाउस,
कोपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली

आप अपनी शिकायत अपने राज्य के मानव अधिकार आयोग के कार्यालय में भी दर्ज करा सकते हैं।

राज्य मानव अधिकार आयोगों की सूची

मध्यप्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग,

पर्यावास भवन, जेल रोड़ , भोपाल (म.प्र.) फोन नं. : 0755-25771935

ई-मेल : mphrc@sancharnet.in

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग,

राज्य सचिवालय, जयपुर (राजस्थान), फोन नं. : 0141-227868

ई-मेल : rshrecreg.nic.in

उत्तर प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग

टी.सी./34, वी-1 विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ उत्तर प्रदेश

फोन नं. : 0522-2305801, ई-मेल : uphrecko@yahoo.co.in

छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग

मंत्रलय के पास, रायपुर (छत्तीसगढ़), फोन नं. : 0771-2235525

ई-मेल : cghrcryp@sifi.com

बिहार राज्य मानव अधिकार आयोग

9 बैली रोड, पटना, बिहार, फोन नं. : 0612-2232289

उड़ीसा राज्य मानव अधिकार आयोग

तोशाली भवन कॉम्पलेक्स, दूसरा तल सत्यनगर, पोस्ट ऑफिस शहीद नगर

भुवनेश्वर (उड़ीसा), फोन नं. : .674-2572166

हमने अब तक जाना....

पुलिस, कोर्ट, कचहरी का नाम सुनते ही एक अनचाहे डर से घिर जाते हैं। इसका कारण है कि पुलिस से संबंधित कानूनों को हम नहीं जानते। पुलिस मूलतः चार काम करती है, अपराधों की रोकथाम, नागरिकों की सुरक्षा, ग़ैर कानूनी कृत्यों पर कार्यवाही और कानून व्यवस्था को बनाये रखना।

पुलिस अगर अपने अधिकारों से बाहर जाकर कोई जयादती करती है तो यह भी एक अपराध है। पुलिस पर भी कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

हमारी सुरक्षा के लिये पुलिस हमारी मदद करती है। यह हमारा अधिकार है लेकिन हम भी पुलिस की मदद करें यह हमारा कर्तव्य भी है।

संदर्भ सामग्री

आईसेक्ट द्वारा निर्मित ''कानून को जानें'' श्रृंखला में जो भी पुस्तकें तैयार की गई हैं उनमें लेखकों द्वारा संदर्भ सामग्री के रूप में उन प्रतिष्ठित पुस्तक-पुस्तिकाओं की मदद ली गई है जो कानून की सटीक जानकारी देकर ''न्याय तक पहुंच'' परियोजना को सफल बनाने में ज्यादा उपयोगी हो सकें जैसेः कानून संबंधी प्रकाशन, कानूनी साक्षरता एवं प्रशिक्षण से जुड़ी संस्था मार्ग, सभी संबंधित राज्य संसाधन केन्द्र, जामिया मिलिया-नई दिल्ली, उत्तरांचल राज्य महिला आयोग एवं संबंधित राज्यों के राज्य विधिक सहायता प्राधिकरण। हम इन सभी संस्थाओं एवं प्रकाशकों के अत्यंत आभारी हैं। इनकी मदद से ही कानून से जुड़ी विविध और सटीक जानकारियों को हमारे स्त्रोत तथा अनुभव के साथ इन पुस्तकों में एकत्रित करने का प्रयास किया गया है ताकि इनका लाभ ''न्याय तक पहुंच'' परियोजना के माध्यम से हाशिये पर जी रहे और अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके।

AISECT

हम सब बराबर, बराबर हमारे अधिकार